

राजस्थान सरकार
कृषि & ग्रुप-2 विभाग

क्रमांक : पं. 10 & 2 कृषि/ग्रुप-2/75 जयपुर, दिनांक : 15 SEP 2006

-: अधिसूचना :-

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 अधिनियम सं. 38
सन् 1961 ई की धारा 40 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
राज्य सरकार स्तद्वारा उक्त अधिनियम की संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित
संशोधन करती है, अर्थात् :-

-: संशोधन :-

उक्त अधिनियम की संशोधन अनुसूची के क्रम सं. 9 पर अंकित
शीर्षक वन उपज के सम्मुख विद्यमान अभिव्यक्ति "इमारती लकड़ी" के स्थान
पर "इमारती लकड़ी & हस्तशिल्प धिनिर्माण के लिये आयातित लकड़ी को
छोड़कर" प्रतिस्थापित की जाती है।

राज्यपाल के आदेश से,

के. सी. वर्मा
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज० जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
2. निजी सचिव, मा० कृषि मंत्री जी/राज्यमंत्री कृषि।
3. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, कृषि/शासन सचिव, कृषि।
4. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राज० जयपुर।
5. रक्षित पर्याप्त।